भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1551
जिसका उत्तर गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

सूरत में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना

1551 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया **:**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 मुख्य स्थान से दूर पीठ स्थापित करने का प्रावधान करती है ;

(ख) उक्त प्रावधान के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय के स्थापित पीठों का ब्यौरा क्या ; और

(ग) क्या भारत सरकार के समक्ष गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ सूरत में स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**स्वतंत्र प्रभार**);** और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल**)**

(क**)** से **(**ग**) :** भारत का संविधान का अनुच्छेद 214 उपबंध करता है की "प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा" जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 की धारा 51 "नए राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रधान स्थान और बैठक करने के अन्य स्थान" का उपबंध करती है।

राज्यों में स्थापित उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों से संबंधित सूचना उपाबंध पर है।

जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और शीर्ष न्यायालय द्वारा 2000 के डब्लू. पी.(सी) सं. 379 में दिए गए विनिर्णय के अनुसार और ऐसे राज्यों, जो आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करेंगे और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, जो उच्च न्यायालय के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, के प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की जाती है। ऐसे पूर्ण प्रस्ताव संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति से ही पूर्ण होंगे।

वर्तमान मे सूरत मे उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना का कोई पूर्ण प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष लंबित नहीं है।

****

उच्च न्यायालय की न्यायपीठें

क्रम. सं.	उच्च न्यायालय अ	प्रधान सीट	क्षेत्राधिकार	स्थायी न्यायपीठ और जिस तारीख से न्यायपीठ कार्यरत है
1	इलाहाबाद	प्रयागराज	उत्तर प्रदेश।	1. लखनऊ (01.07.1948)
2	आंध्र प्रदेश	अमरावती	आंध्र प्रदेश	उच्च न्यायालय 1.1.2019 से प्रभावी
3	बॉम्बे	मुंबई	महाराष्ट्र; गोवा; दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	2. नागपुर (01.05.1960) 3. पणजी (01.07.1948) 4. औरंगाबाद(27.08.1984) 5. कोल्हापुर (सर्किट बेंच 18.08.2025 से प्रभावी)
4	कलकत्ता	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	सर्किट बेंच- 5.पोर्ट ब्लेयर (2.5.1950) 6. जलपाईगुड़ी (7.2.2019)
5	छत्तीसगढ	बिलासपुर	छत्तीसगढ	-
6	दिल्ली	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-
7	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश	7. कोहिमा,(10.02.1990) 8.आयजाल, (05.07.1990) 9.इटानगर (12.08.2000)
8	गुजरात	सोल (अहमदाबाद)	गुजरात	-
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	-
10	जम्मू-काश्मीर और लददाख	जम्मू और श्रीनगर	जम्मू-काश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	-
11	झारखंड	रांची	झारखंड	-
12	कर्नाटक	बंगलुरु	कर्नाटक	10. धारवाड़ (24.08.2008) 11. गुलबर्गा(31.08.2008) 7.2.2008 तक पूर्व में स्थायी न्यायपीठ के रूप मे कार्यरत
13	केरल	कोच्चि	केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह (यूटी)	-
14	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मध्य प्रदेश	12. ग्वालियर (01.11.1956) 13. इंदौर (01.11.1956)
15	मद्रास	चेन्नई	तमिलनाडु और पुडुचेरी (यूटी)	14. मदुरै (24.07.2004)
16	मणिपुर	इम्फाल	मणिपुर	उच्च न्यायालय 23.03.2013 से प्रभावी, पूर्व में स्थायी न्यायपीठ के रूप मे कार्यरत (21.01.199
17	मेघालय	शिलांग	मेघालय	उच्च न्यायालय 23.03.2013 से प्रभावी, पूर्व में स्थायी न्यायपीठ के रूप मे कार्यरत (04.02.1998)
18	उड़ीसा	कटक	ओडिशा	-
19	पटना	पटना	बिहार	-
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (यूटी)	-
21	राजस्थान	जोधपुर	राजस्थान	15. जयपुर (31.01.1977)
22	सिक्किम	गंगटोक	सिक्किम	-
23	तेलंगाना	हैदराबाद	तेलंगाना	-
24	त्रिपुरा	अगरतला	त्रिपुरा	उच्च न्यायालय 23.03.2013 से प्रभावी, पूर्व में स्थायी न्यायपीठ के रूप मे कार्यरत (10.05.1992)
25	उत्तराखंड	नैनीताल	उत्तराखंड	-

****